

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक. वि.सं. 22/Exam/Sr. Teach. (Sec. Edu.)/RPSC/EP-I/2024-25

दिनांक : 11.12.2024

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र हेतु अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और वरदुर्घ्न श्रेणी सेवा (मर्ती एवं सहाय की अन्य शर्तों) नियम, 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक (SENIOR TEACHER) के निम्नलिखित 8 विषयों के कुल 2129 पदों पर मर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त विषयवार रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	विषय	गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद	अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद	कुल पद
01	हिन्दी	273	15	288
02	अंग्रेजी	242	85	327
03	गणित	539	155	694
04	विज्ञान	261	89	350
05	सामाजिक विज्ञान	70	18	88
06	संस्कृत	276	33	309
07	पंजाबी	64	0	64
08	उर्दू	2	7	9
योग		1727	402	2129

नोट :-

अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की वर्गीकरण रिक्रियता का वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।

विशेष नोट :-

- अनुसूचित क्षेत्र के अर्थात् गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्रियता के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अर्थात् अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाईन आवेदन में भरें, अर्थात् उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाम देना नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अर्थात् ही ऑनलाईन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अर्थात् यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अर्थात् गैर अनुसूचित क्षेत्र के निवासित होने का प्रमाण एवं यथासंभव आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अथवा अपात्र होंगे।
- टिप्पणी:- यदि अनुसूचित क्षेत्र के अर्थात् अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता दें। यदि अर्थात् एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सौधी मर्ती के लिए पिछड़े जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सौधी मर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अर्थात् उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्रियता को परभावपूर्वक तीन मर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन मर्ती वर्षों की समाप्ति के उपरान्त ऐसी अग्रणीत की गई रिक्रियता सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत भरने जायेगी परन्तु यदि किसी मर्ती वर्ष में मर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे मर्ती वर्ष को इस उपनिबन्ध के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्रियता का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्रियता को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकता है जिनके लिए ऐसी रिक्रियत परभावपूर्वक मर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अर्थात् उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विध्वंसित विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अर्थात् उपलब्ध न होने की दशा में रिक्रियता को प्रभावित अन्तर्-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् रिक्तियों के लिए आरक्षित रिक्रियता को विध्वंसित विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अर्थात् विधवा (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्रियता से भरा जा सकता है। पर्याप्त रूप से विधवा और विध्वंसित विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अर्थात् विधवा के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्रियता उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अर्थात् विधवा के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्रियता उस प्रवर्ग के पुरुष अर्थात् विधवा द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्रियता आरक्षित है। महिला अर्थात् विधवा के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्रियत परभावपूर्वक मर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विध्वंसित विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के नीचे रिक्रियत आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निशक्वजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अर्थात् जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आंग्ल) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्रियता का आरक्षण सौधी मर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्रियता सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्रियता की समाप्त संख्या अत्यन्त बड़ा नहीं होगी मर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् कोई रिक्रियता व्ययगत हो जायेगी।
- राजस्थान विद्यालय अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जब किसी मर्ती वर्ष में कोई रिक्रियत उपयुक्त बैचमार्क निशक्वजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रवर्ग की जा सकती है, तो ऐसी रिक्रियत आगामी मर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी मर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निशक्वजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रवर्ग निशक्वता की निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों में अन्तर्चरितन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ग में भी कोई निशक्वजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोजकता उस रिक्रियत को निशक्वजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकते हैं।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाम राजस्थान राज्य के कुल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त पद नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एसीटी/एसटी/ओसीसी/एमसीसी वर्ग में आरक्षण का लाम नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उल्लेख विहाली की पात्रता रखने वाले अर्थात् विभागों को आरक्षण का लाम देय होगा। टिप्पणी:- "विन्दू संख्या 01 से 08 तक के प्रकथन संबंधित पदों के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लाम होगा।"

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :

- (1) हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिये/:- Graduate or equivalent examination recognized by UGC with concerned subject as Optional Subject, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(विज्ञान विषय के लिये/:- Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects :- Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro-Biology, Bio-Technology and Bio-Chemistry and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(सामाजिक विज्ञान विषय के लिये/:- Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects:-History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy, and Degree or Diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

- (2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthan culture.

Note: 1. अर्थात् को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि आयोग द्वारा अर्थात् को ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन स्थिति तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
2. अर्थात् एवं लाल सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अर्थात् को कालान्तर में कारुसलिंग/पात्रता जांच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए मर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जाएगा।

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रकथन पत्र की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अतिरिक्त मर्ती वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है, वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सख्त देना होगा।
येतन का रनिंग प-मिडियम लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवर्द्धाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
प-बैच

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विधवा एवं विधेन विवाह (परिवर्तित) महिला Explanation :- In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorce, she will have to furnish proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	उपरोक्त उल्लेखन आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषारिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति से पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who has served under the Government on a substantive basis on a post before his/her conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
6.	उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषारिद्धि के पूर्व अधिकतम नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा मुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of other ex-prisoners who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
7.	कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उल्लेख की काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समाप्त जायेगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8.	राज्य, पंचायत समितियाँ तथा जिला परिषदों के कारोबार में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.	
9.	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और चर्चु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवा से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समाप्त जाएगा वहाँ उल्लेखन आयोग के समक्ष उपर्युक्त होने के समय आयु सीमा पात्र कर ली हो बशर्ते कि वे सेवा में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or Appointing Authority, as the case may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
10.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समाप्त जायेगा वहाँ वे आयोग के समक्ष आस्थिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission/Board/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment.	
11.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपर की आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहाँ 55 वर्ष की अधिकतम उमरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 15 years for Ex-servicemen; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable.	
12.	राजस्थान विद्यालय अधिकांश नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित उमरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.	
नोट :-	विभिन्न वर्ग/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निश्चयी माने जायेंगे।	
नोट -		
1.	उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्राधान असेंबली (Non Cumulative) है। अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्राधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्राधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।	
2.	उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपर की आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात्, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्राधान के अनुसार विशेष योग्यता के ऊपर आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।	
3.	कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) स्थितियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।	
4.	राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु संवानित्व की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी को आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
5.	अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्राधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्राधान ही मान्य होगे।	
अन्य विवरण		
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्कैनिंग/मोडरेशन/ऑनलाइनमोडरेशन (सामग्रीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाठ्य गैर अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जायेंगे जो शिथिल परीक्षा में प्राप्तों की मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे।	
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।	
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जायेगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जायेगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा।	
आवेदन अवधि	दिनांक 28.12.2024 से दिनांक 24.01.2025 रात्रि 12-00 बजे तक।	
आवेदन प्रक्रिया	1. उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsec.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन	

- आवश्यक रूप से कर लेवे। तदुपरांत ही अर्थव्यो ऑनलाईन आवेदन करे। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अर्थव्यो के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विद्यमान का ही नाम/हिस्सा माना जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अर्थव्यो को आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.raajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <https://sso.raajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अर्थव्यो के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्द्रजाल एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
 - अर्थव्यो द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अर्थव्यो एस.एस.ओ. पोर्टल <https://sso.raajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें।
 - अर्थव्यो द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार /SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक स्वतंत्रताओं में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक निम्नानुसूचित कर लेवे। यदि इसमें कोई अंतर है तो आधार कार्ड /SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR व ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।
 - Note: ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अर्थव्यो अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जाँच/परीख ले क्योंकि One Time Registration में सुचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में नूटिपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो को अपडेट कर ले ताकि सही सुचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके तथा परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा-पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जायेगा। अर्थव्यो ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने समय अनिवार्य लाइव फोटो अपलोड करेंगे। अर्थव्यो ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य रूप से अपने Live फोटो का Preview देखकर फोटो की सुनिश्चितता करते हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र को Submit करें।
 - अर्थव्यो के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने समय हस्ताक्षर एवं बाँये हाथ की अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो को अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभिजागरण की उपस्थिति में अर्थव्यो के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृथक से अंगूठा निशानी भी लगाई जायेगी।
 - अर्थव्यो ऑनलाईन आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नयी फोटो परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्रक पर दबसा करने हेतु सावध रहना होगा।
 - अर्थव्यो को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विवरण को अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
 - अर्थव्यो आवेदन की अंतिम तिथि तक अंतिम की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टता एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। यदि ऐसी पूर्व में अंतिम शैक्षणिक योग्यता/अनुभव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसे योग्यता/अनुभव विचारणीय नहीं होंगे। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अंतिम शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में जोड़े जा सकेंगे।
 - आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
 - आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।
 - आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अर्थव्यो पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
 - राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
 - अर्थव्यो ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेवे।
 - अर्थव्यो ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय-समय पर अवलोकन करे क्योंकि आयोग की परीक्षाओं/नती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती हैं। पृथक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।
 - आयोग द्वारा अर्थव्यो से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाइन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अर्थव्यो ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दस्तावेज एवं स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

- यदि कोई अर्थव्यो अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 600/- का ऑनलाईन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.raajasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दस्तवेज अर्थव्यो का ही होगा।
- आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाईन एडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अर्थव्यो के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।
- Note: विच्छिन्न विवाह/तलाक़ाह/तलाक़ाह/वैधव्यता महिला ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विच्छिन्न विवाह (DV) डिक्री जारी होने की स्थिति में ही वगैरह परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाईन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर संशोधन।
- One Time Registration (OTR) लानू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अर्थव्यो के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्वरूप पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।**
- किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अर्थव्यो को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।
- सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रुपये निर्धारित है।
- आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।
- आयोग द्वारा अर्थव्यो से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरांत कोई भी ऑफलाइन/ऑनलाईन आवेदन पत्र त्रुटि अर्थव्यो को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

एकबारीय पंजीयन शुल्क - कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा बरामत नती परीक्षाओं हेतु एकबारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है-

1. सामान्य (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अर्थव्यो -	रुपये 600/-
2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/साहयिया क्षेत्र) के अर्थव्यो -	रुपये 400/-
3. दिव्यांगजन -	रुपये 400/-

नोट :-

- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अर्थव्यो को सामान्य वर्ग का अर्थव्यो माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अर्थव्यो के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
- समाज अर्थव्यो द्वारा पूर्व में इन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अर्थव्यो की एस.एम.एस. आईडी द्वारा लोग इन कर टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाएँ।

विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अर्थव्यो को श्रुतलेखक/अतिपिछड़ा समय उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विशेष निर्देश-

- अर्थव्यो द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेषयोग्यजन श्रेणी भर जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए यह पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अर्थव्यो को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अर्थव्यो को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
- ऐसे दिव्यांगजन अर्थव्यो जो स्वयं का श्रुतलेखक लाना चाहते हैं, उन अर्थव्यो को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाणिज्य चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अर्थव्यो एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधीनक को प्रस्तुत करनी होगी।
- ऐसे दिव्यांगजन अर्थव्यो जो आयोग/केन्द्राधीनक से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अर्थव्यो को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाणिज्य चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अर्थव्यो का वचन-पत्र केन्द्राधीनक को प्रस्तुत करनी होगी।
- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निशान्जता) की दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निशान्जता-Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी वाले अर्थव्यो द्वारा वाहन पर, दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अर्थव्यो एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधीनक को प्रस्तुत करनी होगी।
- ऐसे दिव्यांगजन अर्थव्यो जो आयोग/केन्द्राधीनक से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अर्थव्यो को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाणिज्य चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अर्थव्यो का वचन-पत्र केन्द्राधीनक को प्रस्तुत करनी होगी।

नियंत्रण/का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र प्राप्त करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षतिपूर्क समय प्रदान किया जायेगा।

5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 of Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निश्वसता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में सहायता के संबंध में मुख्य शिक्षिका अधिकारी/शिक्षिका अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का शिक्षिका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या हतियारक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा और/या हतियारक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाणा पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा और/या हतियारक समय एवं नहीं होगा।
6. श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण-पत्रों का आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी निर्देशों को विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा।

Scheme and syllabus of competitive examination for senior teacher

The Examination shall carry 500 marks. There will be two papers. Paper-I shall be of 200 marks and Paper-II shall be of 300 marks.

PAPER – I

- The question paper will carry maximum 200 marks.
- Duration of question paper will be 2.00 hours.
- The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
- Paper shall include following subjects:-
(i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
(ii) Current Affairs of Rajasthan
(iii) General Knowledge of world and India
(iv) Educational Psychology.
- Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
- Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
- The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
राजस्थान सिविल सेवा (मृतपूर्व सैनिक का आगेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्रावधानानुसार मृतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/रियायत दी जायेगी।

PAPER – II

- The question paper will carry maximum 300 marks.
- Duration of question paper will be 2 Hours 30 Minutes.
- The question paper will carry 150 questions of multiple choices.
- Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
- Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
- The minimum qualifying marks shall be 40% . Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
राजस्थान सिविल सेवा (मृतपूर्व सैनिक का आगेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्रावधानानुसार मृतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/रियायत दी जायेगी।
- Paper shall include following subjects :-
(i) Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter.
(ii) Knowledge of graduation standard about relevant subject matter.
(iii) Teaching methods of relevant subject.

उक्त पत्रों हेतु आयोगिक की जाने वाली परीक्षा के लिए ऑन.आर.उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प करने के संबंध में विशेष निर्देश:-

- Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- It is mandatory to fill one option for each question.
- If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
- After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
- A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी को स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- अभ्यर्थी यथासमय मोबाइल नम्बर पर चर व्यवहार के पेटे में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें। आवेदन अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अनिश्चित रूप से पूर्व उत्तरीक प्रविष्टियों से आश्चर्य हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्तजार किये बिना ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या को लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा स्वयं ई-निर्भर/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते/मरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/मूलस्था जूटि हो जाती है, तो इसकी समुचित निवारणा स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन दिनांक), विधायक, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जांच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् जूटि होने पर उन्हें सुधारने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उत्तरीक जांच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/जूटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी जूटि का समुचित दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-निर्भर अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करता है, तो आवेदक स्वयं ई-निर्भर अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-निर्भर अथवा अन्य स्त्रोत के भरने से छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना पर जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से निम्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया के पश्चात् श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अधिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्पन्न खिलाड़ी/मृतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/शिव्या/विधिवन् विवाह/वलाकन्या/परित्याग/विकलांगण/राज्य कर्मचारी/गैर राजपण्डित कर्मचारी/नामालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्दिष्ट करने में करें अन्यथा Online Application Form प्रारंभ की अंतिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ शिक्षापित पत्रों हेतु देना नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/प्रस्तावना जो कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होगा चाहिए, यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द कर पात्रता रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनतिथि (Provisional) रूप से संबंधित नहीं परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अधिकार नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उपनीचाही अंतिम रूप से सही मान की गई है अथवा उन्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही मान की गई हैं। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-पत्र भरना होगा एवं इसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वयंमागित फोटो प्रतियां एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी। आयोग द्वारा उन्मीदवार की पात्रता

- की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलौनी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विद्या/विधिवन् विद्या/तलाकशुदा/परिवर्तना/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अर्थव्यवस्था की अपत्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अर्थव्यवस्था की होगी।
10. मती परीक्षा में निर्धारित रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अर्थव्यवस्था को ऑनलाईन विस्तृत आवेदन प्र भरने जाने एवं देवे निर्धारित समयावधि के लिए लिंक खोला जायेगा। अभ्यासित समयावधि के उपरान्त यह लिंक बंद कर दिया जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार का ऑनलाईन/ऑफलाईन विस्तृत आवेदन प्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था की होगी।
11. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनान प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित विनियम दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-प्र प्रारूप की अन्तिम दिनांक तक विद्या/परिवर्तना/विद्या विधिवन्/तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन प्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विचार कर संशोधन अथवा छेद है तो भी उसे विद्या/विधिवन् विद्या/तलाकशुदा/परिवर्तना वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
12. ऑनलाईन आवेदन प्र भरने एवं टुटि सुधार कर संशोधन अथवा छेद के पश्चात् कोई अर्थव्यवस्था/आकस्मिक रूप से दिव्या/विधिवन्/विद्या वर्ग का लाभ देव जावै। तो उसे लिखित परीक्षा/संबंधित परीक्षा/साक्षात्कार के अन्तिम परिणाम से पूर्व मूल परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विद्या वर्ग आधार-कार्ड, मूल प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज (स्था - राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पंजीकरण प्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्या वर्ग हेतु निश्चयित प्रमाण-पत्र मय 500/- रुपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरान्त अर्थव्यवस्था/दिव्या वर्ग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ अपने वाले परिणाम में ही देव होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रद्द/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।
13. विधिवन् विद्या/तलाकशुदा/परिवर्तना महिला अर्थव्यवस्था को ऑनलाईन आवेदन प्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आश्रयण का लाभ प्रदान किया जाएगा। परिवर्तना/तलाकशुदा/विधिवन् विधिवन् आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/बाद माननीय न्यायालय में विद्यमान/लुप्त है एवं डिक्री ऑनलाईन आवेदन प्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है, तो परिवर्तना/विद्या विधिवन्/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देव नहीं होगा।
14. विधिवन् विद्या/तलाकशुदा/परिवर्तना श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक एवं दिव्या महिला को आवेदन की अन्तिम तिथि तक अथवा विद्या के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विचार नहीं किया जावे संबंधी शायद प्र प्रस्तुत करना होगा।
15. आवेदक उच्च पद हेतु तनी आवश्यक कर जब वह उच्च पद हेतु विद्यापत्र में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अनुरूप वॉरिंट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानक/मानक पूर्ण करता हो। विद्यापत्र में दी गई वॉरिंट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विद्यापत्र में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही अनुभव का अर्थव्यवस्था अपत्रा माना जायेगा।
16. आवेदक को इस विद्यापत्र में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नता आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
17. परीक्षाधिकारियों की ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
18. परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षाधिकारियों द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाते पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षाधिकारियों स्वयं जिम्मेदार होगा।
19. प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विद्या विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्थाविरकार होगा, जो सभी अर्थव्यवस्थाओं को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई बाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
20. परीक्षाधिकार/केंद्रभ्रमण/अभियोग/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिर्वाय/पालन नहीं करने/परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार का अशुभित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनिर्वाय साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षाधिकारियों/केंद्रभ्रमण/कर्मचारी जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है साथ ही परीक्षाधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (मती) में अशुभित साधनों की रोकथाम के अन्वयार्थ) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
21. यदि किसी अर्थव्यवस्था/परीक्षाओं को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य मती एजेंसियों की किसी भी मती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अन्य व्यवहार के प्रति नाविध्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कारों में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
22. राज कर्मचारी को देय लाभ तथा आयुसीमा में छूट, आश्रयण इत्यादि कोल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य वर्गों के कर्मचारी या केंद्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अर्थव्यवस्था ही माने जायेगे, उन्हे उच्च लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

- आवेदक को वर्ग विद्या (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलौनी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विद्या/विधिवन् विद्या/तलाकशुदा/परिवर्तना/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देव होगा जबकि परीक्षा/सूचना परीक्षा/संबंधित परीक्षा में उर्लछी घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उसकी पात्रता की जांच में दस्तावेज सही पाये गए ह। अतः पात्रता की जांच हेतु निर्माणित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने जावै जाये -
1. कार्मिक (के-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अर्थव्यवस्था को आश्रयण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु किये जावै किन्हीं कारणों से अर्थव्यवस्था द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अर्थव्यवस्था को इस आशय का शाश्वत-प्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।
2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमोलियर/नॉन क्रीमोलियर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण मरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में आश्रयण प्रमाण पत्र माता की विद्या के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रश्न पर जारी किया हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आश्रित प्रमाण का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा विद्या वृत्त प्रमाण में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अथवा उसे वर्ग का लाभ देव नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमोलियर के अर्थव्यवस्था को आश्रयण का लाभ देव नहीं है। अतः ऐसे अर्थव्यवस्था को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रश्न पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उच्च अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आश्रित प्रमाण का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा विद्या वृत्त प्रमाण में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अथवा उसे वर्ग का लाभ देव नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अर्थव्यवस्था एवं उसके पिता के नाम को दृष्टि हेतु गैर नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
7. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अन्तिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (तो भी विद्यापत्र में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे-श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रश्न में प्रमाण-पत्र), आय (आर) की गणना हेतु संकेदधी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलौनी (आयोग की वेबसाइट पर उल्लेख दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम शिक्षिका अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निश्चयित की गयी कथित उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी अथवा विद्यापत्र जारी आश्रयण का विद्या श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पति का मूल प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (स्था - राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पंजीकरण प्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अथवा विद्या श्रेणी/वर्ग का लाभ देव नहीं होगा। इसी प्रकार परिवर्तना/तलाकशुदा/विद्या विधिवन् वर्ग में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाईन आवेदन प्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अथवा परिवर्तना/विद्या विधिवन्/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देव नहीं होगा।
8. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रकाशन - कार्मिक (के-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी एक वर्ष के भीतर-मती सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उन सक्षम अधिकारी से निराशेष प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पता होगा/होना, किन्तु पर्यटन से पूर्व उसे सौंपित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्त का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराशेष प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्त से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पर्यटन कालावधि की निर्धारित कर संकेत और उसे उसकी सेवानिवृत्त के दो माह की किसी तलावधि के भीतर-मती पर प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (के-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अपारंप्रित प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्त के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वीं की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आश्रयण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रविष्टि समाप्त हो जायेगी। राजस्थान


सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकार सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विद्यमान नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार थकीरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विद्यमान नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नियमित/संबंधित/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विद्यमान नहीं किया जायेगा। "कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी दिनांक 01.08.2021 को ही देय है।"

- शासन के परिपत्र क्रमांक प6(19)गृह-13/2006 दिनांक 25.02.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बाधनीय होगा।
- एसा कोर्ट भी अमर्याद, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चों/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/संतानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/संतानों की संख्या में बढोतरी नहीं होती। परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वती प्रसव से एक से अधिक बच्चों/संतानों पैदा होती है, वहाँ बच्चों/संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करने के समय एसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निश्चित हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अमर्याद जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपबन्ध किसी विधवा एवं विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परिव्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शब्ध-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बाधनीय होगा।
- आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- विधिन् विवाह/तलाकशुदा/परिव्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पूर्व विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किने जाने संबंधी शब्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को अंतिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
- आवेदक को चयन उपरान्त आवरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ एसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचारधीन होने पर नियुक्ति हेतु उपात्र होगा।
- आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शिक्षिता जाँच सम्बन्धी शिक्षिता प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
- आवेदक को पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- अमर्यादों की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-
अमर्यादों ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विन्तु व सूचना के लिए परीक्षाधियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु विकिसार/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अमर्यादों की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के पश्चात् अमर्यादों रूप से चयनित अमर्यादों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र से पूर्व में किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अमर्यादों प्रवेश दिया जायेगा। अगर अमर्यादों द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अमर्यादों का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अमर्यादों को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :-
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मिन्न/अन्य स्त्रोत द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अमर्यादों द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा रद्द/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अमर्यादों को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य विन्तु व सूचना :- एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विन्तु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षाधियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpcc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर अथवा दूरभाष से- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।


 (रामनिवास मेहता)
 सचिव